न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी सुश्री पिंकी मीणा आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

उनवान गुल्या बनाम कन्हैयालाल बगै0

वाद संख्या–89 / 2018

दिनांक निर्णय–31.01.2019

प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि एक वाद बाबत दावा तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् वादी गुल्या उर्फ गुलाब चन्द पुत्र अर्जुन जाति मीना निवासी सुधारणपाडा तहसील बसवा द्वारा एक वाद पत्र न्यायालय हाजा में पेश कियां। वाद पत्र के अनुसार ग्राम सुधारणपाडा पटवारी हल्का नांगलझामरवाडा तह0 बसवा जिला दौसा में भूमि खेवट खतौनी संख्या नई 13 पुरानी 11 ख0 नं0 314 रकबा 0.35 है0, ख0 नं0 326 रकबा 0.74 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.09 है0 वार्षिक लगानी 16.54 रूपये एवं खतौनी संख्या नई 14 पुरानी 12 ख0 नं0 327 रकबा 0.01 है0, ख0 नं0 409 / 984 रकबा 0.21 है0, ख0 नं0 411 / 983 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.50 है0 वार्षिक लगानी 16.61 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 15 पुरानी 13 के ख0 नं0 314 / 1023 रकबा 0.12 है0, ख0 नं0 315 रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 325 रकबा 0.49 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.69 है0 वार्षिक लगानी 9.90 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 45 पुरानी 42 के ख0 नं0 309 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 310 रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 393 रकबा 0.37 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 0.81 है0 वार्षिक लगानी 16.06 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 46 पुरानी 43 के ख0 नं0 343 रकबा 0.54 है0 वार्षिक लगानी 20.09 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 47 पुरानी 44 के ख0 नं0 345 रकबा 0.56 है0 वार्षिक लगानी 15.79 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 48 पुरानी 45 के ख0 नं0 401 रकबा 0.62 है0, ख0 नं0 402 रकबा 0.57 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 1.19 है0 वार्षिक लगानी 34.24 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 49 पुरानी 46 के ख0 नं0 384 रकबा 0.08 है0, ख0 नं0 384 / 1003 रकबा 0.44 है0, ख0 नं0 396 रकबा [illegible] है0, ख0 नं0 397 रकबा 0.57 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 1.87 है0 [illegible] खतौनी संख्या नई 50 पुरानी 47 के ख0 नं0 398 / 990 रकबा 0.06 है0 वार्षिक लगानी 2.05 रूपयें [illegible]तौनी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

संख्या नई 206 पुरानी 210 के ख0 नं0 383 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 394 रकबा 0.28 है0, ख0 नं0 395 रकबा 0.57 है0, ख0 नं0 398 रकबा 0.55 है0, ख0 नं0 399 रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 400 रकबा 0.03 है0, ख0 नं0 407 रकबा 0.10 है0, ख0 नं0 408 रकबा 0.06 है0, ख0 नं0 409 रकबा 0.40 है0, ख0 नं0 410 रकबा 0.24 है0, ख0 नं0 411 रकबा 0.25 है0, ख0 नं0 418/980 रकबा 0.07 है0, ख0 नं0 419/981 रकबा 0.04 है0, ख0 नं0 419/989 रकबा 0.03 है0 कुल किता 14 कुल रकबा 2.71 है0 वार्षिक लगानी 81 रूपयें एवं खतौनी संख्या नई 207 पुरानी 211 के ख0 नं0 324 रकबा 0.26 है0 वार्षिक लगानी 3.70 रूपये स्थित है, जिसको आगे चलकर भूमि मुतदाविया के नाम से सम्बोधित किया जावेगा।

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का अभी तक विधिवत तकास्मा नही हुआ है पक्षकारान ने मनसामई से बांट कर अपने अपने हिस्से पर काबिज रहकर काश्त कर मुफीद होते चले आ रहे है व लगान अदा करते चले आ रहे है बिना तकास्मा हुये कोई भी पक्ष अपने हिस्से पर आधुनिक उपकरण लगा कर भूमि मुतदाविया को अधिक उपजाऊ नही बना सकता है व न राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा दी जाने वाल कृषि सहायता ही प्राप्त कर सकता है। ऐसी सूरत में वादीया सरस नरस के हिसाब से तकास्मा करवाकर अपने हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम कराने का अधिकारी है एवम लगान का भी इसी कदर बंटवारा कराया जाकर अलग अलग पास बुके जारी करवाये जाने का अधिकारी है।

भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र का सरस नरस के अनुसार विधिवत तकास्मा किया जाकर वादीगण का कब्जे के अनुसार तकास्मा किया जाकर वादिया के हिस्से का अलग चक व अलग खाता कायम किया जावे एवम लगान का भी इसी कदर बॅटवारा किया जाकर अलग अलग पास बुके जारी की जावें।

प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा इस अमर से प्रतिबंधित किया जावे कि प्रतिवादीगण स्वयं या अपने नौकरों, ऐजेन्टो घरवालो या दीगर मददगारान के भूमि मुतदाविया वर्णित पैरा नं0 1 वाद पत्र ख0 नं0 314, 326, 327, 409/984, 411/983, 314/1023, 315, 325, 309, 310, 393, 34[illegible], 345, [illegible]1, 402, 384, 384/1003, 396, 397, 398/990, 383, 394, 395, 398, 399, 400, [illegible], 409, 410, 411, 418/980, 419/981, 419/989, 324 वाके ग्राम सुधार[illegible]डा तहसील बसवा को जब तक विधिवत

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

सरस नरस के अनुसार तकास्मा होकर अलग अलग खाते कायम न हो जावे जब तक किसी भी भू-भाग को किसी दीगर सख्स को रहन व बय करने से, वादीगण द्वारा बोई हुयी फसल को काट कर ले जाने से व वादी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की मजाहमत पैदा करने से दवामि तौर पर प्रतिबंधित रहें।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प 2018 नांगल झामरवाडा में सुनवाई हेतु पेश हुई। पक्षकारान को सुनवाई हेतु बुलाया गया। वादी द्वारा स्वयं के हिस्से की भूमि का तकास्मा कराने की प्रार्थना की। वादी को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने के पश्चात दावा प्राथमिक रूप से डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीगण प्राथमिक डिक्री कर तहसीलदार बसवा को आदेश दिया जाता है कि पक्षकारान की विवादित भूमि खतौनी संख्या नई 13 पुरानी 11 ख0 नं0 314, 326 एवं खतौनी संख्या नई 14 पुरानी 12 ख0 नं0 327, 409/984, 411/983 एवं खतौनी संख्या नई 15 पुरानी 13 के ख0 नं0 314/1023, 315, 325 एवं खतौनी संख्या नई 45 पुरानी 42 के ख0 नं0 309, 310, 393 एवं खतौनी संख्या नई 46 पुरानी 43 के ख0 नं0 343 एवं खतौनी संख्या नई 47 पुरानी 44 के ख0 नं0 345 एवं खतौनी संख्या नई 48 पुरानी 45 के ख0 नं0 401, 402 एवं खतौनी संख्या नई 49 पुरानी 46 के ख0 नं0 384, 384/1003, 396, 397 एवं खतौनी संख्या नई 50 पुरानी 47 के ख0 नं0 398/990 एवं खतौनी संख्या नई 206 पुरानी 210 के ख0 नं0 383, 394, 395, 398, 399, 400, 407, 408, 409, 410, 411, 418/980, 419/981, 419/989 एवं खतौनी संख्या नई 207 पुरानी 211 के ख0 नं0 324 स्थित ग्राम सुधारणपाडा तह0 बसवा का पक्षकारान के मध्य हिस्से अनुसार उनकी उपस्थिति में सरस नरस (Neets and Bounds) व रास्ते आदि का ध्यान रखते हुए कुर्रेजात तैयार कर भिजवाये। आदेश देने के पश्चात तहसीलदार बसवा [illegible] प्रकार कुर्रेजात प्रस्तुत किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा
गुल्या पुत्र अर्जुन हि0 406 / 571 धक्खी पत्नि गुल्या हि0 165 / 571 राहिन पीएनबी शाखा बिवाई जाति मीना सा0 देह खातेदार	309	0.04
	310	0.40
	314 / 1028	0.12
	314	0.35
	326	0.74
	327	0.01
	324	0.26
	395	0.57
	402	0.57
	408	0.06
	400	0.03
	410	0.24
	411	0.25
	411 / 983	0.28
	409	0.40
	409 / 984	0.21
	345	0.56
	343 / 1	0.36
	419 / 989	0.03
	401 / 1	0.14
	418 / 980 / 1	0.04
	407 / 1	0.05
	किता 22	5.71 है0
कन्हैया पि0 हरसाय हि0 67 / 264 खेमराज पि0 हरसाय हि0 58 / 264 राहिन पीएनबी शाखा बिवाई लीला पुत्र हरसाय हि0 64 / 264 राहिन केनरा बैंक शाखा बांदीकुई मुर्त0 गिरधारी गिर्राज पुत्र किशना हि0 75 / 264 जाति मीना सा0 देह खातेदार	383	0.03
	394	0.28
	398	0.55
	399	0.06
	407 / 2	0.05
	418 / 980 / 2	0.03
	419 / 981	0.04
	[illegible]	0.08
	325	0.49
	[illegible]	0.37
	343 / 2	0.18
	401 / 2	0.48
	किता 12	2.64 है0

Signature Not Verified

Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner

कन्हैया पुत्र हरसाय हि0 44/123 राहिन पीएनबी शाखा बिवाई, गिरधारी गिर्राज पुत्र किशन्या हि0 101/193 मांग्या पुत्र मुरली हि0 1/193 बिना रहन हबलू पुत्र मुरली हि0 24/193 राहिन पीएनबी शाखा बिवाई, गुलबाई जलबाई पुत्री मांग्या, जगदीश भोज्या मोती पि0 मांग्या हि0 23/193 जाति मीना सा0 देह खातेदार	398/990 384 384/1003 396 397	0.06 0.08 0.44 0.78 0.57
	किता 5	1.93 है0

प्राप्त कुरेजात पर वादी व प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति नही की। तत्पश्चात कुर्रेजात वास्ते विचारार्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुए। पत्रावली में वादी द्वारा कुर्रेजात पर कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की गई। इस पर न्यायालय द्वारा पत्रावली का अलोकन एवं मनन किया जाकर गुणावगुण के आधार पर मुताबिक कुर्रेजात तहसीलदार बसवा तकास्मा किया जाता है। न्यायालय द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार कर मुताबिक कुर्रेजात वाद तकास्मा निर्णित करने का निर्णय लिया, इसलिए मुताबिक कुरेजात वाद तकस्मा अंतिम डिक्री किया जाता है। प्रस्ताव में वादी के हिस्से में आए खसरा नम्बर पर प्रतिवादी किसी प्रकार का दखल नही दे। इस बाबत उसे पाबंद किया जाता है। अंतिम डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

(पिंकी मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)

Signature Not Verified

Digitally signed by Pinki Meena
Date: 2021.02.18 14:43:12 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner